न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 04/2024 निर्णय दिनांक२० .05.2024

ऑनलाईन नम्बर 2024/8

1. सोनादेवी पत्नि शंकरलाल 2. मुकेश पुत्र शंकरलाल 3. राकेश पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी बिग्गा बास रामसरा श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू—राजस्व, तहसील श्रीडूंगरगढ

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 75, 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की और से वादपत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 624 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 तादादी 10.9100 हैक्टेयर रोही बिग्गागास रामसरा, खसरा नम्बर 868 तादादी 5.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1223 तादादी 4.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1010 तादादी 5.5600 हैक्टेयर रोही बिग्गा में स्थित है। जिसमें खसरा नम्बर 624 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 तादादी 10.9100 हैक्टेयर रोही बिग्गाबास रामसरा में वादीगण का नाम सोनादेवी पत्नि शंकरराम, मुकेश पुत्र शंकरराम, राकेश पुत्र शंकरराम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 868 तादादी 5.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1223 तादादी 4.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1010 तादादी 5.5600 हैक्टेयर रोही बिग्गा में वादीगण का नाम सोनादेवी पत्नि शंकरलाल, मुकेश पुत्र शंकरलाल, राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल दर्ज है। वादगत खेत वादीगण के विरास्तन के खेत है जिसमें वादीगण के पति/पिता का नाम रोही बिग्गा के खसरानो में शंकरलाल एवं रोही बिग्गाबास रामसरा के खसरानो में शंकरराम दर्ज है जबकि वादीगण के पति/पिता का सही नाम शंकरलाल है। वादीगण के पति/पिता शंकरराम का स्वर्गवास हो चुका है वादीगण के पति/पिता शंकरलाल के विरास्तन नामान्तरण दर्ज करते समय वादीगण का नाम खसरा नम्बर 624 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 तादादी 10.9100 हैक्टेयर रोही बिग्गागास रामसरा में सोनादेवी पत्नि शंकरराम, मुकेश पुत्र शंकरराम, राकेश पुत्र शंकरराम दर्ज कर दिया एवं खसरा नम्बर 868 तादादी 5.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1223 तादादी 4.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1010 तादादी 5.5600 हैक्टेयर रोही बिग्गा में सोनादेवी पत्नि शंकरलाल, मुकेश पुत्र शंकरलाल, राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल दर्ज कर दिया [illegible] खसरा नम्बर 624 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 तादादी 10.9100 हैक्टेयर [illegible] रामसरा में वादीगण का सही नाम सोनादेवी पत्नि शंकरलाल, मुकेश पुत्र शंकरलाल, राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल दर्ज होना था। उक्त खेतों पर वादीगण का कब्जा—काश्त एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.24 12:05:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वादीगण ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण से पहचान के सबूत मांगे एवं वादीगण का नाम सही नही होने से वादीगण को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादीगण के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्षा के दस्तावेज सोनादेवी पत्नि शंकरलाल, मुकेश पुत्र शंकरलाल, राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल नाम से बने हुए है जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम सही करवाने पर ही लोन दिया जायेगा तब वादीगण ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीग ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादीगण के पिता/पति की विरास्त की भूमि है जो वादीगण को विरास्त में प्राप्त हुई है वादीगण के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम सोनादेवी पत्नि शंकरलाल, मुकेश पुत्र शंकरलाल, राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल की जगह सोनादेवी पत्नि शंकरराम, मुकेश पुत्र शंकरराम, राकेश पुत्र शंकरराम दर्ज कर दिया है जिसको वादीगण सही करवाने के अधिकारी है। वादीगण के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम के वादीगण का नाम पहचान के दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती है एवं वादीगण अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादीगण अपने खेत को विकसित करने से वचित है। वादीगण अपने के पहचान के सबूत में सोनादेवी पत्नि शंकरलाल, मुकेश पुत्र शंकरलाल, राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल होने से वादीगण अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम सोनादेवी पत्नि शंकरलाल, मुकेश पुत्र शंकरलाल, राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने अपने खेत पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादीगण को पता चला कि वादीगण का नाम सोनादेवी पत्नि शंकरराम, मुकेश पुत्र शंकरराम, राकेश पुत्र शंकरराम दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादीग ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादीगण को वाद हेतु हासिल है। वादीगण ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी । उक्त दावा में स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मागा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही बिग्गा एवं बिग्गागास रामसरा के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादीगण का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है । अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.24 12:05:43 IST
Reason: SelfAttested

(क) वादीगण संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर [illegible] तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 तादादी 10.9100 हैक्टेयर रोही बिग्गागास रामसरा में सोनादेवी पत्नि शंकरराम, मुकेश पुत्र शंकरराम, राकेश पुत्र शंकरराम की जगह सोनादेवी पत्नि शंकरलाल, मुकेश पुत्र शंकरलाल, राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल घोषित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(ख) प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादीगण खेत खसरा नम्बर 624 तादादी 5.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 तादादी 10.9100 हैक्टेयर रोही बिग्गागास रामसरा के विरास्तन नामान्तरण में दर्ज सोनादेवी पत्नि शंकरराम, मुकेश पुत्र शंकरराम, राकेश पुत्र शंकरराम की जगह सोनादेवी पत्नि शंकरलाल, मुकेश पुत्र शंकरलाल, राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें ।

(ग) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादी के उक्त वाद का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 624 तादादी 5.97 हैक्टेयर, खसरा नंबर 363 तादादी 10.91 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गाबास रामसरा में दर्ज सोनादेवी पत्नी शंकरराम, मुकेश पुत्र शंकरराम, राकेश पुत्र शंकरराम के स्थान पर शुद्ध नाम सोनादेवी पत्नी शंकरलाल, मुकेश पुत्र शंकरलाल व राकेश कुमार पुत्र शंकरलाल किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चो डिक्री जारी हो। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक २०.५.२०२४ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.24 12:05:43 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल

उनवान

1. सोना देवी पत्नी शंकरलाल 2. मुकेश 3. राकेश पुत्रगण शंकरलाल जाति जाट निवासी बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़।

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 04/2024

निर्णय दिनांक: २०.५.२०२४

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूब्रू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता राजूराम बाना एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 624 तादादी 5.97 हैक्टेयर, खसरा नंबर 363 तादादी 10.91 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गाबास रामसरा में दर्ज सोनादेवी पत्नी शंकरराम, मुकेश पुत्र शंकरराम, राकेश पुत्र शंकरराम के स्थान पर शुद्ध नाम सोनादेवी पत्नी शंकरलाल, मुकेश पुत्र शंकरलाल व राकेश कुमार पुत्र शंकरलाल किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.. ...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक २० माह ०५ सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.24 12:05:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)